जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0–15/2016–17

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
19-5-17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। मौजा–भेलाटाँड़, मौजा सं0–89 अंतर्गत गैर आबाद खाता सं0–95, प्लॉट सं0–581, रकवा–1.85 एकड़ गैर आबाद खाते से संबंधित भूमि पर कायम जमाबंदी सं0–473 को रद्द करने से संबंधी अनुशंसा अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा की गई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा विधिवत् नोटिश निर्गत कर अभिलेख की सुनवाई की गई है। उन्होनें अपने अभिमत् में निम्न तथ्य अंकित किये है– प्रश्नगत् भूमि कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने के दौरान विपक्षी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड सरकार से बन्दोवस्त प्राप्त रहने का तथ्य एवं साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि भूमिहीन होने के आधार पर लगभग 28 वर्ष पूर्व इन्हें भूमि बन्दोवस्त किया गया था जिसका लगान जमाबंदी सं0–473 में भुगतान करते हुए विपक्षी भूमि पर दखलकार है एवं खेतीबाड़ी करते आ रहे है जो इनके जीवन निर्वाह का आधार है। साथ ही पुनरीक्षित खतियान का निर्माण भी अपने नाम किये जाने का उल्लेख कर जमाबंदी रद्द किये जाने को विपक्षी द्वारा नियम विरूद्ध बताया गया। अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63A के तहत बन्दोवस्त प्राप्त भूमि के संबंध में जाँचोपरांत बन्दोवस्त भूमि पर पूर्णत: दखलकार नहीं रहने के उल्लेख सहित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में विपक्षी के कागजात एवं पक्ष को सुनते हुए व्यापक जनहित में यह उचित एवं आवश्यक हो जाता है कि बन्दोवस्त प्राप्ति के बावजूद पाँच वर्षों के दौरान भूमि का उपयोग जोत आबाद के लिए नहीं किये जा सकने की वास्तविकता के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 63B के प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि की बन्दोवस्ती रद्द करते हुए उसे कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम बन्दोवस्त/हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की गई है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के मंतव्य से सहमत होते हुए मौजा–भेलाटाँड़, मौजा सं0–89 अंतर्गत गैर आबाद खाता सं0–95, प्लॉट सं0–581, रकवा–1.85 एकड़ गैर आबाद खाते से संबंधित भूमि पर कायम जमाबंदी सं0–473 को रद्द करने हेतु अधिनियम की धारा 63B के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत् भूमि की अधिनियम के प्रावधानों के पालन में विफल बंदोवस्त प्राप्तकर्त्ता की बन्दोवस्ती रद्द करते हुए उसे व्यापक जनहीत में कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम भूमि हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अनुमोदन हेतु उपायुक्त, धनबाद के न्यायालय में भेजें। लेखापित एवं संशोधित 19.5.17 अपर समाहर्त्ता धनबाद। 19.5.17 अपर समाहर्त्ता, धनबाद।	